न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (गिरोहबंद अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय संख्या–12, गाजियाबाद।

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–103/2026 संगणक पंजियन संख्या 2880/2026

UPGZ010063042026

समीर पुत्र हारून, निवासी–म०नं०–406, गली नं०–1 कैला भट्टा, जिलाः गाजियाबाद----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–550/2024
धाराः 2/3 गिरोहबंद अधि०
थानाः कोतवाली, गाजियाबाद

दिनांकः 29.05.2026

1– प्रस्तुत **द्वितीय जमानत** आवेदन प्रार्थी/अभियुक्त समीर की ओर से मु०अ०सं०–550/2024, धाराः 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थानाः कोतवाली, जनपदः गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार हारून के द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि यह प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है, इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं है।

3– जमानत आवेदन पर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी/अभियुक्त को झूंठा व फर्जी फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन अदम पैरवी में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांकः 06.05.2026 को खारिज कर दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का उपरोक्त अपराध से कोई वास्ता ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को दर्शित गिरोह का सदस्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का क्षेत्र की जनता में कोई भय किसी प्रकार का व्याप्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने गिरोहबन्द समाज विरोधी कार्य नहीं किया है और न ही भविष्य में गिरोहबन्द समाज विरोधी

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.05.29 17:20:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

क्रियाकलाप नहीं करेगा, बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त समाज के अन्दर शान्ति व्यवस्था के साथ जीवन यापन करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांकः 20.12.2024 से जिला कारागार डासना, गाजियाबाद में निरूद्ध चला आ रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त पर दर्शाये गये सभी मुकदमों में जमानत स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित परिवार के सदस्य है। प्रार्थी/अभियुक्त का माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु क्षेत्राधिकार से भागने व गवाहान को तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु वाद दौरान अपनी उचित एवं माकूल जमानत देने को तैयार है। उक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5– अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त समीर द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अवैध धन अर्जित करने हेतु हत्या का प्रयास व लूट आदि सम्बंधी जघन्य अपराध कारित किए है, अभियुक्त का जनता में भय व आतंक व्याप्त है। अभियुक्त पेशेवर अपराधी है। अपराध गंभीर है। अतः अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाये।

6– गैंगचार्ट में आधार वाद के रूप में प्रार्थी/अभियुक्त समीर के विरूद्ध मु०अ०सं०–447/2024, अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2)भा०न्या०सं०, थानाः कोतवाली नगर, मु०अ०सं०–480/2024, अन्तर्गत धाराः 303(2) भा०न्या०सं०, थानाः कोतवाली नगर तथा मु०अ०सं०–487/2024, अन्तर्गत धाराः 109, 317(2), (5) भा०न्या०सं० व 3/25/27 आयुध अधि०, थानाः कोतवाली नगर, जिलाः गाजियाबाद पर अभियोग पंजीकृत है।

7– उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 19(4) के प्रावधान के अनुसार– संहिता मे किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध में आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पत्र पर तब तक नहीं छोडा जाएगा, जब तक कि–

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोडे जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता है, और

(ख) जहॉ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान न हो जाए कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

8– उभयपक्ष के तर्कों एवं अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक अभियुक्त समीर के विरूद्ध दर्शित गैंगचार्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त समीर के विरूद्ध मु०अ०सं०–447/2024, अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2)भा०न्या०सं०, थानाः कोतवाली नगर, मु०अ०सं०–480/2024, अन्तर्गत धाराः 303(2) भा०न्या०सं०, थानाः कोतवाली नगर तथा मु०अ०सं०–487/2024, अन्तर्गत धाराः 109, 317(2), (5) भा०न्या०सं० व

3/25/27 आयुध अधि०, थानाः कोतवाली नगर, जिलाः गाजियाबाद एवं थाना हाजा द्वारा प्रेषित आख्या के साथ संलग्न सी०सी०टी०एन०एस० आख्या व पत्रावली पर उपलब्ध आपराधिक इतिहास के अनुसार मु०अ०सं०–758/2020, अन्तर्गत धाराः 411, 414, 482 भा०दं०सं०, थानाः कोतवाली, मु०अ०सं०–761/2020, अन्तर्गत धाराः 25/4 आयुध अधि०, थानाः कोतवाली, मु०अ०सं०–841/2020, अन्तर्गत धाराः 2/3 गिरोहबंद अधि०, थानाः कोतवाली, मु०अ०सं०–937/2024, अन्तर्गत धाराः 304, 317(2)भा०न्या०सं०, थानाः कविनगर, मु०अ०सं०–987/2024, अन्तर्गत धाराः 304(2)भा०न्या०सं०, थानाः कविनगर, मु०अ०सं०–1007/2024, अन्तर्गत धाराः 304(2)भा०न्या०सं०, थानाः कविनगर, मु०अ०सं०–1131/2020, अन्तर्गत धाराः 392, 411 भा०दं०सं०, थानाः विजयनगर, मु०अ०सं०–791/2024, अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2)भा०न्या०सं०, थानाः विजयनगर, मु०अ०सं०–225/2024, अन्तर्गत धाराः 304(2)भा०न्या०सं०, थानाः वेव सिटी, मु०अ०सं०–274/2024, अन्तर्गत धाराः 304(2)भा०न्या०सं०, थानाः वेव सिटी, मु०अ०सं०–362/2024, अन्तर्गत धाराः 303(2), 317(2)भा०न्या०सं०, थानाः वेव सिटी, मु०अ०सं०–798/2024, अन्तर्गत धाराः 304(2)भा०न्या०सं०, थानाः नन्दग्राम, मु०अ०सं०–457/2024, अन्तर्गत धाराः 303(2)भा०न्या०सं०, थानाः कोतवाली व मु०अ०सं०–548/2024, अन्तर्गत धाराः 304(2)भा०न्या०सं०, थानाः सिहानी गेट पर अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त आपराधिक मामले हत्या का प्रयास, लूट, चोरी व चोरी के माल को व्ययनित करने व असलाह रखने आदि के अपराध से सम्बंधित हैं। उपरोक्त वर्णित आपराधिक मामले में आसिफ, आरिफ, सोनू उर्फ मोसीन व गुड्डू उर्फ सलमानी भी अभियुक्तगण हैं, जिनके साथ मिलकर एक गिरोह के रूप में उपरोक्त सम्बंधित अपराध कारित किया जाना दर्शित है। अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से प्रथम दृष्टया विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त जो कि गिरोह का सदस्य है तथा उसके द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उपरोक्त समाज विरोधी अपराध किये जाते हैं। गैंग चार्ट में वर्णित आपराधिक घटनाओं में आवेदक अभियुक्त की सक्रिय भूमिका प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होती है। उक्त कृत्य गिरोह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इस प्रकार से किया जाना प्रतीत होता है, जिससे कि लोक शान्ति भंग होना तथा समाज में भय व्याप्त होना स्वाभाविक है। उक्त प्रकरण में सह–अभियुक्त आसिफ का जमानत आवेदन हस्तगत न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से संस्थित जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। तदनुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **समीर** की ओर से मु०अ०सं०–550/2024, धाराः 2/3 उ०प्र०

गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थानाः कोतवाली, जनपदः गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत **द्वितीय जमानत आवेदन** सं०–103/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–29.05.2026

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
विशेष न्यायाधीश (गिरोहबंद अधि०)/अपर
सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–12, गाजियाबाद।
J.O. Code- UP6480